

<p>तारीख हुक्म</p>	<p>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज          रामजीवनसिंह बनाम लो.सू.अ. ( तहसीलदार तिंवरी )          सू.अ.अ. अपील संख्या 120/2019</p>	<p>नं0 व तारीख          अहकाम जो इस          हुक्म की तामील          में जारी हुए</p>
<p>13.08.19</p>	<p>पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी रामजीवनसिंह पता अगुणाबास, मथानीया, गांव व पोस्ट मथानीया, जिला जोधपुर ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रार्थना-पत्र दिनांक 23.05.19 में उसके द्वारा (1) पटवारी मथानीया ने खसरा नम्बर 764, 760/1 के सन्दर्भ में रिपोर्ट मय नक्शा के आपके कार्यालय प्रेषित की गई थी उनकी मुझे तीन-तीन प्रमाणित प्रतियां व अन्य बिन्दुओं, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार तिंवरी) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई।</p> <p>अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष ( तहसीलदार तिंवरी ) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। अपीलार्थी आज अनुपस्थित।</p> <p>हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.( तहसीलदार तिंवरी ) से जरिये पत्रांक 31 दिनांक 23.07.19 तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमें अवगत कराया कि प्रार्थी को इस कार्यालय के पत्रांक/सू.अ./2019/29 दिनांक 12.07.19 को डाक द्वारा भिजवाई जा चुकी है। अपनी रिपोर्ट के साथ प्रार्थी को प्रेषित पत्रांक 29 दिनांक 12.07.2019 की फोटो प्रति भी प्रेषित की गई। चूंकि तहसीलदार तिंवरी द्वारा प्रार्थी को उसके द्वारा चाही गई सूचना के बारे में अवगत कराया जा चुका है तथा पत्र प्राप्ति पर प्रार्थी के हस्ताक्षर किए हुए हैं। अतः अपील इस स्टेज पर निरस्त योग्य होने से निरस्त की जाती है। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।</p>	